ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 36-38**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

मथुरा जनपद के आधुनिक राजनीतिक स्वरूप का विकास : इतिहास के आईने में

डॉ0 श्याम सुंदर ठेनुआं

असिस्टेंट प्रोफेसर– इतिहास, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, माँट, मथुरा (उ0प्र0) भारत

Received-06.07.2025, Revised-14.07.2025, Accepted-20.07.2025 **E-mail : shyam.sunder1504@gmail.com**

सारांशः ***यह शोध पत्र मथुरा जनपद के भौगोलिक, प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक विकास का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। आगरा मंडल का यह जिला यमुना बेसिन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश शासन और स्वतंत्र भारत तक निरंतर प्रशासनिक पुनर्गठन का साक्षी रहा है। इस अध्ययन में 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक जिले की भौगोलिक सीमाओं, तहसीलों और परगनों के गठन, विस्तार एवं पुर्नसंयोजन का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है।***

कुंजीभूत शब्द– **स्वतंत्रता, जनहित, अशिक्षित, अभावग्रस्त, शोषित, सामाजिक–आर्थिक, संविधान, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद।**

परिचय – मथुरा जिला जिसे प्राचीन काल में शूरसेन[1] या बृज[2] के नाम से जाना जाता था; उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल का एक प्रमुख ऐतिहासिक क्षेत्र है। यमुना नदी इस जिले के बीचोंबीच से गुजरती है और यह जिला सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान मथुरा जनपद 27°14′ और 27°58′ उत्तरी अक्षांश और 77°17′ और 78°12′ पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। वर्तमान में जिले का क्षेत्रफल 1287 वर्ग मील है। मथुरा जनपद पूर्व में हाथरस जनपद की हाथरस सदर तथा सादाबाद उत्तर–पूर्व में अलीगढ़ की इगलास एवं खैर तहसीलों से, उत्तर–पश्चिम में पलवल (वर्तमान हरियाणा) तथा दक्षिण–पश्चिम में राजस्थान प्रान्त का भरतपुर, पश्चिम दिशा में डीग व अलवर जिलों से घिरा हुआ है। दक्षिण दिशा में यह आगरा जिले की किरावली और एतमादपुर तहसीलें सीमा बनाती हैं।[3]

मथुरा जनपद का संक्षिप्त प्राचीन इतिहास – प्राचीन काल में यह स्थान पौराणिक व्यक्तित्व श्री कृष्ण से जुड़ा रहा है तत्पश्चात बौद्ध, जैन एवं हिन्दू धर्मों के लिए प्रसिद्ध रहा है। छठवीं सदी ईसा पूर्व में यह शौरसेन महाजनपद के नाम से प्रसिद्ध था व अवन्तिपुत्र यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ तत्पश्चात मौर्यों, शुंग वंश का अधिपत्य रहा।[4] शुंगों के पश्चात हिन्द यूनानियों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया इस दौरान शकों की एक छत्रपी भी स्थापित हुई। कुषाणों के समय में यह विख्यात कुषाण शासक कनिष्क की द्वितीय राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ तथा रेशम मार्ग पर स्थित प्रमुख व्यापारिक नगर भी बन गया। गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने इसे अपनी प्रत्यक्ष अधीनता में ले लिया।[5] पूर्व मध्यकाल में तथाकथित राजपूतों का शासन रहा, जो महमूद गजनवी के आक्रमण तक अनवरत बना रहा ऐसा माना जाता है कि गजनवी के आक्रमण के समय जनपद का प्रमुख केंद्र महावन हुआ करता था। सल्तनत काल में यह स्थल धार्मिक केंद्र के रूप में अपना महत्व बनाये रखा, लेकिन अन्य स्थानों जैसे बयाना, कोल तथा आगरा के उदभव ने इसके राजनीतिक महत्व में कमी कर दी।[6]

मुगल काल में मथुरा जनपद – पानीपत के द्वितीय युद्ध (1526 ई.) भारत में मुगल वंश की सत्ता को स्थापित कर दिया, लेकिन पहले दो शासकों के समय साम्राज्य विस्तार तक ही ध्यान केन्द्रित किया गया।[7] अकबर के समय पहली बार विजयों के साथ–साथ साम्रज्य को सुदृढ़ भी किया गया। इस दिशा में पहली बार मानकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ और उसने अपने पूरे साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया।[8] सूबे पुनः सरकार और सरकार परगनों व महाल में विभाजित होते थे। मुगल काल में मथुरा का क्षेत्र आगरा सूबे के अंतर्गत आता था, जिसमें उसकी तीन प्रमुख सरकारों – आगरा, कोल (कोइल) और सहार तक विस्तृत था। वर्तमान मथुरा का पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्सा सूबे की आगरा सरकार में पड़ता था, जिसमें 7 महाल– मथुरा, महोली, मंगोतला (मगोर्रा), महावन, जलेसर और खंदौली थे। कोल सरकार के अंतर्गत जनपद के उत्तरी हिस्सा था, जिसमें इसका प्रमुख महाल नोह या नोहझील का क्षेत्र आता था। सहार सरकार जनपद के पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी भाग में थी, जिसमें होडल, सहार और कामां के परगने सम्मिलित थे। मुग़ल काल में परगनों का क्षेत्र, नाम व सीमायें निश्चित नहीं होती थी, जो प्रशासनिक जरूरतों व अन्य राजनीतिक आवश्यकताओं के द्रष्टिगत परवर्तित होते रहते थे।[9]

शाहजहाँ के काल में उसके वजीर सद्दुल्ला खां ने जाट विद्रोहों के दमन के लिए सन 1652 ई. में सादाबाद छाबनी की स्थापना की यह जलेसर परगने के 200 ग्राम तथा खंदौली परगने के 80 ग्रामों से मिलकर बनाया गया।[10] औरंगजेब के शासन काल में मंगोतला को चार पट्टियों में विभाजित किया गया, पुनः इसे तीन महालों सोंख, सोंसा तथा अडींग में विभाजित कर दिया गया, अंतिम महाल अडींग में सहर सरकार के कुछ हिस्से सम्मिलित किये गये थे। महावन परगने को राया, सोनई, माँट तथा सादाबाद में विभाजित कर दिया गया। जलेसर परगने को मुरसान एवं सहपऊ में विभाजित कर दिया गया, जो ब्रिटिश काल में मुरसान को अलीगढ़ में तथा सहपऊ को मथुरा जनपद का हिस्सा बनाया गया। औरंगजेब के शासन काल में ही सहर को सरकार का स्तर खत्म कर दिया गया तथा इसे परगना का दर्जा मिलता रहा, लेकिन सहर सरकार की जगह मथुरा को सरकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया।

जाट एवं मराठा कालीन पुनर्गठन – जाट शासन के दौरान पुनः मथुरा सरकार को 4 परगनों – सहर, शेरगढ़, कोसी तथा साहपुर में पुनर्संयोजित किया गया जो एक लम्बे समय तक अपरवर्तित रहे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मथुरा जनपद की प्रशासनिक इकाइयाँ न्यूनतम परिवर्तनों के साथ प्रशासन एवं राजस्व के उद्देश्य से यथावत बनी रही लेकिन उत्तरमुग़ल काल में यह क्षेत्र जाट, मराठा, रुहेले, अफगानों तथा मुगलों के बीच संघर्ष की स्थली बना रहा। 18 वीं सदी के मध्य में भरतपुर के जाट शासकों के नेत्रत्व में इसको राजनीतिक स्थिरिता बनी, लेकिन अब्दाल्ली के आक्रमणों ने बड़ी हानि पहुंचाई।[11] महाराजा सूरजमल के समय यमुना का सम्पूर्ण पश्चिमी हिस्सा 'जाटवाडा' के नाम से प्रसिद्ध हो गया, इसी समय पठानों व रुहेलों की आपसी फूट का फायदा उठाकर उन्होंने रुहेलों को सहायता के बदले में एक संधि के माध्यम से यमुना के पूर्वी भाग में मध्य दोआब तक भरतपुर का राज्य विस्तृत हो गया, लेकिन जल्दी ही अबदाल्ली के आक्रमणों ने स्थिति को बदल दिया। 1753–54 ई. में मराठों ने भरतपुर का घेरा डाला, जिसमें मल्हार राव का पुत्र व अहिल्याबाई होलकर का पति खंडेराव होल्कर मारा गया। जुलाई 1761 ई. में महाराजा सूरजमल ने आगरे पर अधिकार कर लिया तथा 1764 ई. में जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली का घेरा डाला गया।[12]

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

1768 ई. में महाराजा सूरजमल के योग्य पुत्र जवाहर सिंह की मृत्यु ने एक बार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा व संघर्ष में वृद्धि कर दी तथा उसके उत्तराधिकारियों में संघर्ष प्रारम्भ हो गया परिणामस्वरूप अन्य वाह्य शक्तियों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तथा नवोदित भरतपुर राज्य को शैशवावस्था में मृत्यु के समीप ला खड़ा किया।[13] इस दौरान मुगल बादशाह शाह आलम के मंत्री नजफ खान ने व्यवस्था बनाने के लिए अपने मुगल अमीर राजा कुली खां को जागीर के रूप में देने के लिए सोंख परगने के कुछ गाँव तथा सहर को मिलाकर गोवर्धन परगना का गठन किया। 1772 ई. में नजफ खां ने बल्लभगढ़ के जाट सरदार अजीत सिंह व हीरा सिंह को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे भरतपुर की उत्तरी सीमा सिकुड़ गयी। नजफ खां ने दो युद्धों[14] में भरतपुर रियासत को हार के कगार पर पहुंचा दिया। 1776 ई. में उसने आफ्रियासाब खां के नेत्रत्व में जमुना के पूर्वी हिस्से मध्य दोआब को जीतकर अपने अधीन कर लिया जिसमें अलीगढ़, मुरसान और हाथरस के सुद्रढ़ दुर्ग भी थे।[15] महादजी सिंधिया ने पतनशील मुग़ल शासन का फायदा उठाकर अपने फ़्रांसिसी सेनापति बॉन–डी–बोगन के नेत्रत्व में एक सुदृढ सेना का गठन किया जिसमें प्रसिद्ध कमांडर पेरों[16] भी शामिल था इसने मुग़ल बादशाह को अपनी अधीनता स्वीकार करने को वाध्य ही नहीं किया बल्कि मुस्लिम अमीरों का दमन करके 1786 ई. तक सम्पूर्ण दोआब पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया तथा स्थानीय जमींदारों को अपना सहयोगी बना लिया।[17] महादजी सिंधिया ने सैन्य संचालन के बदले में फ्रेंच सेनापति डी–बोगेन को मध्य दोआब का जागीरदार बना दिया जिसका मुख्यालय अलीगढ़ को बनाया गया।[18] डी–बोगेन ने राजस्व वसूली के लिए व प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के लिए शेरगढ़ व इगलास में दो केंद्र भी स्थापित किया।[19]

ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासनिक पुनर्संरचना (1803–1947) – द्वितीय आंग्ल– मराठा युद्ध में जनरल लेक के नेत्रत्व में मराठा सरदार सिंधिया को हरा दिया। लेक ने अगस्त 1803 ई. में अलीगढ़, सितम्बर 1803 ई. में दिल्ली तथा 2 अक्तूबर को मथुरा, 16 अक्टूबर को आगरा को विजित कर लिया गया। अंततः लसवाडी के युद्ध में सिंधिया की करारी हार हुई इसके पश्चात सिंधिया का कमांडर पैरों ने हथियार डाल दिए। इस संघर्ष में धौलपुर व भरतपुर के जाट शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजी सेना की मदद की थी। परिणामस्वरूप दौलत राव सिंधिया को ईस्ट इंडिया कम्पनी से 31 दिसम्बर 1803 ई. में सुर्जी अर्जन गाँव संधि करनी पड़ी, जिसमें सम्पूर्ण गंगा यमुना का दोआव का क्षेत्र कम्पनी को सौंपना पड़ा।[20] कम्पनी को युद्ध सहायता के बदले में 1805 ई. में चार लाख रूपये वार्षिक आमदनी वाले तीन परगने सोंख, सोंसा व सहर ईस्ट इंडिया कम्पनी के द्वारा भरतपुर के महराजा रणजीत को सौंप दिए गये। कम्पनी को मथुरा जनपद के 6 लाख रूपये वार्षिक आमदनी वाले परगनों पर अधिपत्य स्थापित हो गया। कम्पनी द्वारा इन नव विजित परगनों में से नौहझील परगने को फतेहगढ़ जिले में, सादाबाद, सहपऊ, मुरसान, सोनई, राया, माँट, महावन, जलेसर परगनों को इटावा जिले में तथा मथुरा परगने को आगरा जिले में मिला दिया गया। गोवर्धन परगना को रणजीत सिंह के पुत्र लक्ष्मण सिंह को दे दिया गया। कोसी व शेरगढ़ परगना उसके वास्तविक अधिकारीयों को मिलने थे, लेकिन 1805 ई. में सिंधिया के द्वारा मुस्ताफनगर की संधि में इसे सिंधिया की पत्नी बैजा बाई, उसकी पुत्री बल्ला बाई की जागीर मानी गयी थी, लेकिन 2 लाख रूपये व 1 लाख रूपये के नकद भुगतान के बदले में उक्त क्षेत्र को 1808 ई. में ब्रिटिश कम्पनी के अधीन ले लिया गया।[21] 1805 ई. की संधि में भरतपुर रियासत से सौंख, सोंसा व सहर को बापस हस्तगत कर लिया गया।[22]

1804 में अलीगढ़ ज़िला बना और फतेहगढ़ और इटावा से नौहझील, सादाबाद, सहपऊ, राया, माँट, मुरसान, जलेसर, महावन और सोनई परगना इसमें स्थानांतरित कर दिए गये। 1824 में सादाबाद नाम से एक नये जिले का गठन किया गया, जिसमें मुरसान को छोड़कर उपर्युक्त परगना शामिल किये गये। 1828 ई. के रेगुलेशन VI के द्वारा भरतपुर रियासत से गोवर्धन परगना को बापस लेकर आगरा जनपद में मिला दिया गया।[23] 1832 में जिला मुख्यालय सादाबाद से मथुरा स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ पर पहले से कम्पनी सामान्य प्रशासनिक कार्यालय एवं सैन्य छावनी स्थापित थी। इस नवगठित जिले में सादाबाद सहित 8 परगने तथा आगरा से प्राप्त सात परगने शामिल थे। सौंख एवं सहर से अडींग परगना गठित किया गया। 1836 में तीन नई तहसीलों (सहर, कोसी व अडींग) का गठन किया गया। इस प्रकार मथुरा जनपद में पहले की पांच तहसीलों (माँट, महावन, जलेसर, सादाबाद व नौहझील) सहित कुल 8 तहसील व 16 परगना हो गये। इसी वर्ष गुडगाँव से बिडूकी के बदले में खारौठ प्राप्त किया गया।[24] 1840 ई. में अलीगढ़ जिले के मुरसान परगना से मदैम, सौंख[25] पचावर, अल–लश्करपुर तथा दुनैटिया के 40 ग्राम प्राप्त किये गये। 1859 ई. में नौहझील व माँट तहसीलों को एकीकृत करके माँट में तहसील बनाया गयी। 1860 ई. में सहर तहसील का मुख्यालय छाता नाम से किया गया तथा इसी प्रकार 1867 ई. में अडींग का मुख्यालय मथुरा में स्थानांतरित कर दिया गया। 1874 ई. में जलेसर तहसील व परगना को मथुरा से अलग करके आगरा में मिला दिया गया। इसके बदलें में आगरा के फरह परगना के 84 गाँवों को मथुरा में स्थानांतरित किया गया।[26] 1894 ई. में कोसी तहसील का विलय छाता में कर दिया गया तथा 1923 ई. में महावन तहसील को माँट एवं सादाबाद में बाँट दिया गया।[27]

स्वतंत्रता के पश्चात जनपद का प्रशासनिक पुनर्गठन – स्वतंत्रता के पश्चात 1950 ई. में फुलवारा ग्राम को भरतपुर को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बदले में सात गाँव जिनमें नगला बोरहा, नगिरी, उमरी, शमसपुर, बाद, भैंसा और धर्मपुर जिनका क्षेत्रफल 19.17 वर्ग किमी था, प्राप्त किये गये। 1957 ई. में आगरा की एत्मादपुर तहसील के पैंत खेड़ा गाँव का कुछ क्षेत्र मथुरा जनपद की सादाबाद तहसील में मिलाया गया, वहीं 1959 ई. में माँट तहसील के नीमगाँव का कुछ क्षेत्र अलीगढ़ जिले की इगलास तहसील में स्थानांतरित कर दिया गया।[28] मई 1997 ई. में सादाबाद तहसील को हाथरस जनपद में मिला दिया गया। इस प्रकार जनपद के कुल क्षेत्र में 800 वर्ग मील कमी आ गयी।[29] 2011 में पुनः माँट तहसील का विभाजन करके महावन तहसील अस्तित्व में आई तथा 2015 ई. में छाता व मथुरा सदर तहसीलों में से गोवर्धन तहसीलों का सृजन किया गया। इस प्रकार मथुरा जनपद में तहसीलों की संख्या बढ़कर 5 हो गयी।[30]

इस प्रकार जनपद का वर्तमान राजनीतिक व प्रशासनिक स्वरुप अस्तित्व में आया। मथुरा जनपद का प्रशासनिक इतिहास निरंतर परिवर्तनशील रहा है। मुगलकालीन परगना व्यवस्था से लेकर ब्रिटिश शासनकाल की तहसील व्यवस्था और स्वतंत्र भारत के पुनर्गठन तक, जिले ने अनेक भौगोलिक और प्रशासनिक परिवर्तन देखे हैं। इन परिवर्तनों ने न केवल इसके प्रशासनिक स्वरूप को प्रभावित किया, बल्कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव डाला।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

सदर्न्भ ग्रन्थ सूची

1. भरत के पुत्र व श्री कृष्ण के पितामह का नाम शूरसेन था, दत्त पालीवाल, ब्रज का इतिहास, भाग.1 राधा पब्लिकेशन, दिल्ली, 1972, पृ.. 15.
2. गायों के चरने या भ्रमण करने का स्थान.उपर्युक्त, पृ..7.
3. i. एन. बी. शर्मा, यमुना बेसिन के जनपद और भूगोल, हरिद्वार : गंगा साहित्य, 1985, पृ. 78–92.
   ii. https://mathura.nic.in/hi/
4. एच. आर. नेविल, मथुरा उत्तर–पश्चिमी प्रांत एवं अवध का गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ. 80–110.
5. रोमिला थापर , प्राचीन भारत का इतिहास, हिंदी कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ–210.
6. इलियट, हेनरी मियर्स, जॉन डाउसन, दि हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऐज़ टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियन्स, खण्ड–1, लंदन– ट्रूबनर एण्ड कम्पनी, 1867, पृ–106.
7. चंद्र, सुमित, मध्यकालीन भारत का इतिहास, नई दिल्ली विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रथम संस्करण, 1954 पृष्ठ 154.
8. अबुल फज़ल, आईन–ए–अकबरी, भाग.2ए (अनुवाद हेनरी ब्लॉकमैन), एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता, 1867, पृ. 145–160.
9. मथुरा जिला गजेटियर (Gazetteer of the District Mathur), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, संशोधित संस्करण– 1965, पृ.–10–75.
10. एफ. एस. ग्राउस, मथुरा : जिला संस्मरण (Mathura: A District Memoir), तीसरा संस्करण, उत्तर–पश्चिमी प्रांत एवं अवध सरकारी प्रेस, इलाहाबाद, 1883 पृ. 250.
11. सरकार, जदुनाथ, द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, खण्ड.4, कलकत्ता , एम. सी. सरकार एण्ड सन्स, 1938, पृष्ठ–125.
12. उपर्युक्त, पृष्ठ – 127.
13. महाराजा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके भाई केसरी सिंह व् रणजीत सिंह में संघर्ष शुरू हो गया, एच. आर. नेविल, वही, पृष्ठ– 70.
14. 1770 ई. में सौंख–अर्डींग का युद्ध तथा 1773 ई. में बरसाना का युद्ध, कृष्ण दत्त पालीवाल, वही, पृष्ठ –194.
15. अलीगढ़ जिला गजेटियर, Gazetteer of Aligarh District, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ,1961 पृ.50–65.
16. डेलरेम्पिल, डब्लू, वाइट मुगल्स, पेंगीन्न बुक इंडिया ,2003 पृ. 80–110 (संपत्ति, विवाह और संधियों का विवरण)।
17. इनमें मुरसान, हाथरस, अवागढ़, खैर के जमींदार शामिल थे, सरकार, जदुनाथ, वही, पृष्ठ– 185.
18. सरकार, जदुनाथ।
19. अलीगढ़ जिला गजेटियर, वही, पृष्ठ– 176.
20. सी.यू.एचिसन, कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज: एंगज्मेंट एंड सनदस Vol.1, नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट, 1981, पृ. 10–35.21. कॉनिबेयर, एच. सी.; फिशर, एफ. एच.; तथा हेवेट, जे. पी. स्टैटिस्टिकल, डिस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टॉरिकल अकाउंट ऑफ द नॉर्थ– वेस्टर्न प्रोविन्सेज ऑफ इंडिया, खण्ड– 8, भाग– 1 : मथुरा, इलाहाबाद : गवर्नमेंट प्रेस, 1884 पृष्ठ– 05.
22. उपर्युक्त, पृष्ठ– 06.
23. वही, पृष्ठ– 7.
24. वही, पृष्ठ– 8.
25. यह सौंख यमुना के पश्चिम में स्थिति सौंख परगने से अलग मुरसान रियासत का तालुका था।
26. एफ. एस. ग्राउस, वही, पृष्ठ– 38.
27. कॉनिबेयर, एच. सी.; फिशर, एफ. एच.; तथा हेवेट, जे. पी. वही, पृष्ठ– 10.
28. मथुरा जिला गजेटियर, पृष्ठ– 07.
29. उपर्युक्त, वही, पृष्ठ– 08.
30. वही, वही, पृष्ठ– 09.

*****